

गंगासहाय पुत्र मांगीलाल जाति ब्राहमण निवासी जाखोलासखुर्द तहसील बामनवास (मृतक)  
1/1- देवीसहाय 1/2- गोविन्द पि0 गंगासहाय 1/3 शांतिदेवी पत्नि गंगासहाय  
जाति ब्राहमण निवासी जाखोलासखुर्द तहसील बामनवास।

---प्रार्थीगण

बनाम

प्रताप पुत्र हजारी जाति गुर्जर निवासी जाखोलासखुर्द तहसील बामनवास।  
सरपंच ग्राम पंचायत फूलवाडा तहसील बामनवास।

---अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक- 20/07/15

यह निगरानी प्रार्थनापत्र माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर की एस.बी.सिविल रिट  
संख्या 8564/2005 निर्णय दिनांक 22/01/09 से प्रतिप्रेषित होकर इस निर्देश के साथ प्राप्त  
है कि सुनवाई व साक्ष्य पर का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विचार कर निर्णय पारित करें।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई व  
मातहत की पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड ए.डी.नोटिस जारी करने के  
व्यतिरिक्त भी उपस्थित नहीं हुए व अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त नहीं होने पर वकील प्रार्थीगण ने  
प्रमाण किया कि पत्रावली के अभाव में प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है व प्रार्थी ने  
दस्तावेज पेश कर दिये हैं अतः प्रार्थी की बहस व दस्तावेज के आधार पर प्रकरण का निस्तारण  
जावें के आधार पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि  
संख्या 1 को ग्राम पंचायत द्वारा जिस भू-खण्ड का पट्टा जारी किया है वह भूमि आम रास्ते की  
है तथा नियमों के परिपेक्ष्य में आम रास्ते की भूमि का पट्टा नहीं दिया जा सकता। अतः ग्राम पंचायत  
द्वारा जारी किया गया पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान वकील प्रार्थीगण ने बहस में यह भी तर्क  
दिया कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टे पर मात्र सरपंच के ही हस्ताक्षर हैं जबकि सचिव के भी  
हस्ताक्षर होना आवश्यक है इस प्रकार सरपंच ने अपनी मनमर्जी से नियमों के विपरीत पट्टा जारी किया है  
निरस्तनीय है। विद्वान वकील प्रार्थीगण ने बहस में यह भी तर्क दिया कि ग्राम पंचायत के कार्यवाही  
रजिस्टर में हंसराज पंच के हस्ताक्षर हो रहे हैं जबकि तत्समय हंसराज पंच ही नहीं था इस प्रकार ग्राम  
पंचायत की कार्यवाही फर्जी होने से जारी किया गया पट्टा निरस्तनीय है। विद्वान वकील प्रार्थीगण ने बहस  
में यह भी तर्क दिया कि प्रार्थीगण के पिता व पति ने एक दीवानी दावा संख्या 19/99 न्यायालय सिविल  
न्यायाधीश(क.ख.) बामनवास में पेश किया था जिसमें निर्णय दिनांक 19/03/05 से प्रतिवादीगण को पाबन्द  
रखा गया था कि रास्ते की भूमि में जो निर्माण कर रखा उसे अपने खर्च से हटावे व रास्ते की भूमि पर  
कोई निर्माण कार्य नहीं करे इस कारण भी जारी किया गया पट्टा निरस्तनीय है। विद्वान वकील प्रार्थीगण  
ने बहस में यह भी तर्क दिया कि इसी पट्टे से संबंधित एक अपील अपर जिला न्यायाधीश गंगपुरसिटी में  
दायर थी जिसमें अपीलार्थीगण ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र पेश कर अवगत कराया था कि अपील में  
सुनवाई हो जाने से अपील को चलाना नहीं चाहते हैं जिसके आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज  
की गई थी इस वजह से भी जारी किया गया पट्टा निरस्तनीय है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार  
करा जाकर अप्रार्थी संख्या 1को ग्राम जाखोलासखुर्द की आबादी भूमि में 30X 40 वर्ग फुट का जारी  
पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर

स्वीकार


मुद्रा

निगरानी संख्या 16/14 गंगासहाय/प्रताप

वकील प्रार्थी की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व पत्रावली अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है अदालत हाजा द्वारा पूर्व में प्रार्थी गंगासहाय द्वारा प्रार्थी संख्या 1 को जारी पटटे की निगरानी प्रस्तुत करने पर निर्णय दिनांक 15/06/05 से प्रार्थी की निगरानी खारिज की गयी थी जिससे व्यथित होकर प्रार्थी ने अदालत हाजा के निर्णय के विरुद्ध माननीय न्याय उच्च न्यायालय में रिट दायर की व माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 22/01/09 से प्रार्थी प्रतिप्रेषित होकर इस निर्देश के साथ प्राप्त हुआ है कि सुनवाई व साक्ष्य पर का अवसर प्रदान करने के लिये सिरे से विचार कर निर्णय पारित करें। पत्रावली के अवलोकन पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थी गंगासहाय गांव संग अभियान में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी हजारी को जारी पटटा दिनांक 28/04/96 की प्रमाणित प्रति चाही थी जिसपर सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत फुलवाडा ने 01/03/02 को प्रमाण पत्र जारी किया था कि आवासीय भू-खण्ड विलेख दिनांक 28/04/96 से संबंधित पटटा पंचायत रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार पंचायत कोरम ने 28/04/96 को जो प्रस्ताव पारित किया है उसमें भी प्रस्ताव के अन्त में अप्रार्थी संख्या 1 का नाम जोड़ा गया है जिससे यह जाहिर होता है कि पटटे से संबंधित कार्यवाही फर्जी हुई है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात हुआ है कि अप्रार्थी को पटटे से संबंधित कार्यवाही फर्जी करने से पूर्व पंचायत द्वारा सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया है व मोकामे भी तैयार नहीं की गई है जिससे पंचायत राज नियमों की अवहेलना हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 को पटटा जारी किया गया है। निःशुल्क पटटा अप्रार्थी संख्या-1 को क्यों जारी किया है इसका भी पत्रावली में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त वकील प्रार्थी ने दिनांक 25/10/09 के पत्रावली में आवेदन की छाया प्रति पेश की है जो उक्त जारी पटटे की शिकायत पर पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा व विकास अधिकारी पंचायत समिति बामनवास द्वारा जाँच की गई है उसमें उल्लेख किया गया है कि अप्रार्थी को दिनांक 28/04/96 को ग्राम पंचायत फुलवाडा ने जो पटटा जारी किया है वह पटटा आम पंचायत की भूमि में होने से अनियमित रूप से फर्जी तरीके से जारी किये हैं पटटा आम रास्ते की भूमि में जारी किया गया है इस बात की पुष्टि दीवानी दावा संख्या 19/99 न्यायालय सिविल न्यायाधीश(क.ख.) द्वारा निर्णय दिनांक 19/03/05 से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया गया था कि रास्ते की भूमि में जो पटटा जारी कर रखा उसे अपने खर्च से हटावे व रास्ते की भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं करे इस बात से भी पटटा जारी किया गया है। रास्ते की भूमि में पटटा जारी करने से राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 की धारा 161 का उल्लंघन हुआ है। अतः उपरोक्त कथन से यह भलीभांति साबित है कि अप्रार्थी संख्या 1 को जारी पटटा आम पंचायत की भूमि पर व पंचायत राज नियमों की पालना नहीं कर जारी किया गया है जो निरस्त किये जाने चाहते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को जारी पटटा में ग्राम पंचायत फुलवाडा द्वारा दिनांक 28/04/96 को जारी पटटा 30X 40 वर्गफुट का निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20/07/2015 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(बलदेवसिंह हाडा)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
सवाईमाधोपुर